Nai Duniya, Bhopal, 11/05/2026
Page No: 3, Size: 17.59cm × 21.72cm

अवैध हिरासत, थर्ड डिग्री, अपराधियों को छोड़ने के आरोप... और कैमरे बंद

नाफरमानी ● मानव अधिकार आयोग व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में पुलिस की कार्यप्रणाली पहले से ही अवैध हिरासत, थर्ड डिग्री और अपराधियों को छोड़ने जैसे आरोपों के घेरे में है। इसके बावजूद भोपाल के कई थानों और चौकियों में लगे सीसीटीवी कैमरे महीनों से बंद हैं। हालात यह हैं कि शहर के करीब आधे थानों की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब थानों के भीतर होने वाली गतिविधियां ही रिकार्ड नहीं होंगी, तो जवाबदेही तय कैसे होगी। दरअसल, पुलिस मुख्यालय की टेलीकाम शाखा ने थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव का ठेका टीसीआइएल के माध्यम से नागपुर की एक निजी कंपनी को दिया था। आरोप है कि कंपनी ने समय पर मेंटेनेंस नहीं किया और बाद में जिलों में काम ही बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब कैमरों की मरम्मत और निगरानी का जिम्मा स्थानीय पुलिस पर आ गया है।

68 थाने-चौकियों में लगे हैं कैमरे

शहर में कुल 68 थानों और चौकियों में सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया था। प्रत्येक थाने में औसतन 13 और चौकियों में छह कैमरे लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइन के तहत लाकअप, पूछताछ कक्ष, प्रवेश द्वार और आम आवाजाही वाले हिस्सों में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया था। उद्देश्य था कि हिरासत में प्रताड़ना और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

इन थानों में ज्यादा दिक्कत: महिला थाना, कमला नगर, अयोध्या नगर, पिपलानी और अशोका गार्डन समेत कई थानों में कैमरे लंबे समय से बंद बताए जा रहे हैं। कहीं शार्ट सर्किट की समस्या है तो कहीं हाई वोल्टेज के कारण एडाप्टर जलना कैमरों के बंद होने का कारण बताया गया है। इसके अलावा कई जगह राउटर और नेटवर्क सिस्टम खराब होने की समस्या भी सामने आई है, जिससे लाइव मानिटरिंग और रिकार्डिंग दोनों प्रभावित हैं।

चार महीने में लगे कई आरोप: भोपाल पुलिस पर बीते चार महीनों में कई गंभीर आरोप लगे हैं। जनवरी 2026 में ही शाहपुरा थाने में एक युवक को पांच दिन तक अवैध हिरासत में रखने के आरोप लगे थे। इसी दौरान आरोपित थाने से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। पिछले महीने एक युवक ने टीटीनगर पुलिस पर थर्ड डिग्री के आरोप लगाए थे। उसने पुलिस कमिश्नर से शिकायत में बताया था कि उसे पैरों में पिन चुभाए गए थे और बेरहमी से पीटा गया था, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। इसके अलावा पिछले महीने देहात क्षेत्र में तत्कालीन एसपी रामशरण प्रजापति ने थाने से अपराधियों को छोड़ने के आरोप में नजीराबाद थाना प्रभारी अरुण शर्मा को निलंबित किया था।

बैरसिया थाने में लगी स्क्रीन में दिखाई दे रहे कई कैमरे बंद।

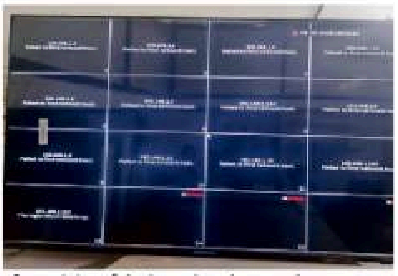

महिला थाने के सभी कैमरे बंद पड़े हुए थे। ● नवदुनिया

पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन प्रमुख रूलिंग

1. डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): हिरासत मे यातना और मौत के मामलो पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी। बाद मे यही फैसला पुलिस निगरानी और सीसीटीवी व्यवस्था की नीव माना गया।

2. परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह व अन्य (2020): पुलिस थानो और जांच एजेंसियो के दफ्तरो मे सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो को निर्देश दिए कि हर थाने, लाकअप, पूछताछ कक्ष और प्रवेश द्वार पर आडियो-वीडियो रिकार्डिंग वाले कैमरे लगाए जाएं।

3. शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018): इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानो मे सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अदालत ने कहा था कि तकनीक का इस्तेमाल पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है। बाद मे इसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

पुलिस खुद करवा रही सुधार

कंपनी के काम छोड़ने के बाद जिला पुलिस व्यवस्था संभाल रही है। कहीं तकनीशियन बुलाकर एडाप्टर बदले जा रहे है तो कही इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारी जा रही है। पुलिस अधिकारियो का कहना है कि खराबी आने पर आनलाइन टिकट जनरेट होता है, पर समाधान मे लंबा समय लग रहा है।

"कुछ थानो मे कैमरो के बंद होने की शिकायत है। इसके लिए टीमे तुरंत जाकर सुधार कार्य करती है। कहीं भी पूरी तरह से सिस्टम बंद नहीं है।

– वीके सिंह, एसपी, रेडियो

Source: https://countercurrents.org/2026/05/bjps-attempt-to-justify-electoral-manipulation-through-the-narrative-of-reawakening-bengal/

BJP's Attempt to Justify Electoral Manipulation Through the Narrative of "Reawakening Bengal"
in India by Arun Srivastava 10/05/2026

Rajnath Singh, the Defence Minister, in an article carried by a national English daily, expressed concern over what he described as the civilisational slumber of Bengal. He quoted Kaviguru Rabindranath Tagore: "Hey nuton, dekha dik aarbaar, jonmero prothomo shubhokshon" (O new one, show yourself once more, in the auspicious first moment of birth), reiterating the BJP's mission to restore the greatness of true Bengali heritage. The article was published on the day the BJP, for the first time in India's political history, captured state power in Bengal, coinciding with the birthday of Kaviguru, celebrated as Pochishe Boishakh. This marked a significant symbolic shift in Bengal's political landscape, emphasising a blend of political change and Bengali culture.

Singh also mentioned that Rabindranath Tagore wrote these words as an invocation — a prayer to the perpetually renewing spirit of Bengal — traditionally sung on his birth anniversary, honouring him and the joy of renewal and awakening that a birthday signifies. Obviously, he wanted to convey that the BJP capturing power would usher Bengal into a more cultured and assertive era. Singh's article reflects elements of populism and, at the same time, utter confusion about the future of Bengal, which is quite natural, as he was simply narrating the ideas and politics of Narendra Modi.

The "BJP's mission to restore the greatness of Bengali heritage" is misleading and vague. Its focus on reawakening the state from "civilisational slumber" by blending cultural nationalism with development — often described as restoring the legacy of icons like Vivekananda, Subhas Chandra Bose, and Dr Syama Prasad Mookerjee — is also ambiguous. Does he mean to suggest that Bengalis themselves have destroyed the legacies of these icons?

For the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the ideological mentor of the BJP, cultural nationalism is synonymous with Hindu nationalism or Hindutva. The RSS defines India as an inherently Hindu nation (Hindu Rashtra), where national identity is deeply rooted in Hindu culture, values, and traditions. The RSS presents itself as a cultural volunteer organisation rather than a political party, focusing on shaping the "Hindu psyche" and national consciousness. The RSS view of cultural nationalism often holds that even non-Hindu Indians are part of the broader Hindu civilisation.

It is worth mentioning that Kaviguru, who lives in the hearts and minds of millions of Bengalis, irrespective of whether they are Hindu or Muslim, did not endorse Hindu nationalism, and his ideals were at odds with it. Nevertheless, the RSS and BJP have been trying to appropriate Rabindranath as an icon of Hindu nationalism. He also disagreed with the right-wing attempt to identify the nation as a mother goddess.

Singh speaks of cultural nationalism. It is a known fact that this element is often exploited by fascist ideologies. Cultural nationalism becomes a key component of fascism when combined with authoritarianism, militarism, and the violent exclusion of minorities. Fascism uses an extreme form of nationalism, often called "ultranationalism" — a myth of national rebirth. It demands complete loyalty, eliminates opposition, and often relies on a charismatic authoritarian leader, something that is increasingly visible in Modi's New India. Cultural nationalism becomes fascist when it adopts traits such as an "us versus them" mentality, identifies "internal foreigners", focuses on

restoring a supposedly "pure" past through the cleansing of a decayed culture, or turns anti-pluralist. Cultural nationalism thus becomes a building block for creating a "uniform" national identity.

Bengal suffered the most after Narendra Modi became Prime Minister. His hostility towards Mamata Banerjee — in other words, towards Bengali political culture — did not motivate him to promote Bengal as a cultural and intellectual hub during the last 12 years of his rule. Singh blames Bengal for suffering from a "culture of corruption" and stagnation. "Culture of corruption" is merely a political jumla. Of course, corruption has been a major issue, but it was inherited from previous regimes, especially the Left Front. The allegation of stagnation is also incorrect. As per 2024–25 estimates, West Bengal ranks fifth or sixth in terms of Gross State Domestic Product (GSDP), the primary index used to measure the size, health, and growth of an economy. Of course, per capita income has remained comparatively low, but the Modi government cannot abdicate responsibility for that.

The BJP's approach to "reawakening" Bengal or bringing it out of slumber remains vague and amorphous. The basic reason is that a political party whose primary mission has been to spread social and communal hatred could not evolve a mechanism for social and economic growth, both of which are essential for the survival of a society or community. During the last 12 years, the BJP leadership, especially Narendra Modi and Amit Shah, focused mainly on destabilising the Mamata government and maligning Bengalis. Their broader mission was to use Bengal as a base for expansion across India, especially eastern and northeastern India.

A question naturally arises: did the BJP government ever seriously try to identify the factors responsible for forcing Bengali civilisation into "slumber"? Did it conduct any meaningful inquiry into whether Bengali civilisation was actually slipping into decline? Its primary aim instead appeared to be destabilising the government and rendering it dysfunctional. The "slumber" of a civilisation — often referred to as societal decline or a "dark age" — is rarely caused by a single event. It is usually the result of cascading environmental, social, and economic failures. To reduce it simply to corruption and inefficiency is a populist political strategy aimed at maligning the government.

Politico-economic slumber — a state of stagnation where political inertia and economic inactivity reinforce each other — emerges through a combination of structural, institutional, and behavioural factors that inhibit growth, innovation, and reform. It often stems from a lack of political will to undertake difficult reforms, leading to a "no-growth equilibrium". A lack of consensus and political commitment to structural adjustment results in fragmented and sluggish economic policies.

The state government is often blamed for migration. However, there are primarily two types of migration: that of manual labourers and that of highly skilled and educated workers. Migration of the educated and skilled workforce has psychological and neoliberal dimensions. Manual labourers, meanwhile, were forced to migrate because the BJP government stopped the flow of funds on the flimsy ground of alleged non-utilisation. Around ₹1 lakh crore under NREGA has reportedly been withheld. Naturally, labourers were forced to seek work in other states as Bengal could neither generate employment nor pay wages. These funds have effectively been blocked since December 2021. Reports also indicate that budget estimates have been significantly lower than actual expenditure in preceding years, including a reported 23% reduction in real terms over the five years leading up to 2025–26. If Modi had genuinely intended to strengthen Bengal, he should have focused on consolidating and supporting its labour force.

While Modi stopped central funds, the saffron ecosystem simultaneously encouraged violence. The state witnessed widespread post-poll violence, with reports of killings, arson, vandalism, and clashes across various districts. West Bengal has experienced intense political friction between the BJP and the Trinamool Congress (TMC) over the past decade. A 2026 Association for Democratic Reforms (ADR) report indicated that 65% of newly elected MLAs in the 2026 Assembly polls had declared criminal cases, with many involving serious charges. Political violence in West Bengal has become a persistent phenomenon, marked by intense and often deadly clashes between TMC and BJP supporters, particularly during election cycles between 2014 and 2026. A National Human Rights Commission (NHRC) committee recorded 1,934 incidents, including 29 murders and 12 cases of sexual assault, reporting that the violence was widespread and politically targeted. Similar trends were visible during earlier elections, including the 2014 Lok Sabha and 2018 Panchayat polls.

Modi's approach to cultural and intellectual promotion in West Bengal has focused on honouring Bengali icons, conserving heritage infrastructure, elevating the Bengali language, and connecting cultural heritage with tourism through visits and symbolic initiatives between 2014 and 2026. Modi frequently invoked figures such as Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, and Swami Vivekananda to connect Bengal's legacy with his own vision of "Viksit Bharat". However, these efforts were not necessarily directed towards Bengal's social, cultural, or economic growth. A closer look at his visits to cultural institutions suggests that they were often aimed more at image-building than institutional development. The saffron ecosystem claims that Modi engaged deeply with Bengal's cultural identity through visits to places like Belur Math and participation in cultural celebrations. Yet he merely visited, prayed, and departed. He ought to explain what concrete contributions he made to these institutions.

In October 2024, Modi conferred Classical Language status on Bengali as recognition of its ancient heritage and literary richness. But Bengali had already received global recognition in 1913 when Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in Literature. He became the first non-European, the first Asian, and the only Indian to receive the honour, placing Bengali literature and Indian writing firmly on the global stage. Whatever Modi does is often projected as self-eulogy and image management. It frequently lacks sincerity and honesty. Government schemes and events are increasingly tailored to construct a "superhero" image of Modi, often overshadowing policy substance with spectacle.

The political landscape of West Bengal in early 2026 was marked by intense narrative battles over Bengali culture and identity. The BJP heavily targeted Mamata Banerjee and the TMC, alleging that Bengal had lost its cultural identity and entered a phase of stagnation. Modi campaigned on the premise of "saving" Bengal's heritage. The campaign involved major investments in constructing a new political identity centred on "cultural resurgence" in an attempt to shift voters away from the previous administration. Ironically, the BJP invoked figures such as Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda to frame its campaign as a revival of "true" Bengali traditions. The victory also witnessed the emergence of BJP turncoat Suvendu Adhikari, who went on to lead the first BJP government in West Bengal.

The BJP now claims that Bengal will emerge from its slumber under Suvendu Adhikari's leadership. Yet it is difficult to understand how a leader like Suvendu, who openly claimed that his victories in Bhabanipur and Nandigram were driven by consolidated Hindu support and that he would therefore prioritise Hindu interests, can genuinely claim to represent all Bengalis. He alleged that Muslim voters had entirely supported the TMC and described them as rigid, implying that he would not work for them. Although he later reversed his statement after taking oath and promised to serve all communities, it remains unclear which version reflects his true political commitment. His remarks triggered intense debate and accusations of growing communal polarisation in Bengal.

Rabindranath Tagore, particularly in his reflections on civilisation's failures during his final years, expressed deep anguish in his work Crisis in Civilization. Towards the end of his life, he became deeply disillusioned with Western civilisation. In his final address, Sabhyatar Sankat (Crisis in Civilization), written in 1941, Tagore expressed profound despair, stating that his faith in the "humanity" of Western civilisation had collapsed, describing it as being trapped in a moral slumber.

Source: https://www.theindiadaily.com/utility/every-woman-must-have-this-number-saved-on-her-phone-save-it-today-itself-help-arrives-during-an-emergency-news-120290

Hindi News ख़बरें यूटिलिटी

हर महिला के फोन में जरुर होना चाहिए ये नंबर, आज ही करें सेव; इमरजेंसी में पलक झपकते पहुंचती है मदद

अगर आप महिला हैं, तो आपके फोन में कुछ खास नंबर्स जरूर सेव होने चाहिए. यह आपको इमरजेंसी के समय में मदद करेगी. इन नंबर्स को अभी सेव कर लें.

Edited By: Shanu Sharma

Updated : 10 May 2026, 03:53 PM IST

आज सभी लोग मदर्स डे मना रहे हैं. हालांकि महिलाओं की सुरक्षा आज भी देश की एक सबसे बड़ी समस्या है. ऐसे में हर महिलाओं पर खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. अगर आप भी एक महिला हैं या फिर आपके आस-पास कोई भी महिला है, तो उनके पास कुछ खास नंबरों का होना जरूरी है.

महिलाओं के साथ अक्सर घरेलू हिंसा और छेड़ाछाड़ की घटना होती रहती है. ऐसे में किसी भी महिला को घबराने के बजाए डट कर हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिए. आज हम आपको कुछ खास नंबर बताएंगे, जो आपके खराब समय में आपका साथ देगी.

इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम

आपको बता दें कि हमारे देश में एक सिंगल आपातकालीन नंबर चलाया जात है. जिसे पूरे भारत के लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं. यह नंबर है 112, जिसे निर्भया कांड के बाद से शुरू किया गया था. इस नंबर का इस्तेमाल महिलाएं या कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है. खास कर रात में अगर आप बाहर हैं और आपको लगे कि सुरक्षा की कमी है तो इस नंबर पर पहले ही कॉल कर लें. इससे कुछ मिनट में लोग आपके पास मदद के लिए आ जाएंगे.

यूपी विमेन पावर लाइन

यूपी सरकार द्वारा महिलाओं की मदद के लिए खास हेल्पलाइन नंबर 1090 शुरू किया गया है. इस नंबर पर महिला किसी भी शिकायत के लिए कॉल कर सकती है. यह टोल-फ्री नंबर पर किए गए शिकायत पर प्रशासन द्वारा तुरंत सख्त एक्शन लिया जाएगा.

नेशनल वुमेन हेल्पलाइन

भारत में हर सेकंड महिलाओं के साथ अप्रिय घटनाएं होती रहती है. घरेलु हिंसा, दहेज उत्पीड़न या किसी भी तरह की हो रही परेशानी से निपटने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर के मदद मांग सकती हैं.

महिला आयोग करेगी मदद

महिला आयोग ने भी हाल में ही महिलाओं की मदद के लिए टोल फ्री नंबर शुरू की है. इसका भी बस यही मकसद है कि किसी भी परेशानी में महिलाओं की पूरी मदद की जा सके. एसिड अटैक से लेकर फिजिकल हैरेस्मेंट के मामले में भी आप महिला आयोग के 14490 नंबर पर मदद मांग सकती है.

मानवाधिकार आयोग

इस नंबर के बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है. लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिलाओं की मदद के लिए 14433 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. इसमें खास तौर पर दहेज और यौन शोषण के मामलों को गंभीरता से ली जाती है.

Source: https://mirrormedia.co.in/priyank-kanungo-furious-over-the-insult-to-the-national-anthem/

Mirror Media > Blog > NCPCR > राष्ट्रगान के अपमान पर भड़के प्रियंक कानूनगो, यूट्यूब चैनल पर उठाए सवाल
NCPCR देश
राष्ट्रगान के अपमान पर भड़के प्रियंक कानूनगो, यूट्यूब चैनल पर उठाए सवाल
By KK Sagar Last updated: 2026-05-11 7:51 am

पूर्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूट्यूब चैनल “Tinder in Real life” पर प्रसारित एक शो “one girl v/s 69 boys” में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है।

अपने पोस्ट में प्रियंक कानूनगो ने लिखा कि “बेहूदगी की हद है कि यह लफ़ंगे अब राष्ट्रगान का भी अपमान कर रहे हैं और YouTube इनके दुस्साहसी वीडियो को होस्ट कर रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि देश को ऐसे मामलों पर निर्णय लेना होगा और “इन दुष्टों का इलाज करना होगा।”

प्रियंक कानूनगो ने अपने पोस्ट में यूट्यूब और संबंधित चैनल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री को बढ़ावा देना चिंताजनक है, खासकर जब मामला राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हो।

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कई लोग इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, संबंधित वीडियो और उसके कंटेंट को लेकर अभी तक आधिकारिक जांच या कानूनी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।

बहरहाल, वीडियो का पूरा संदर्भ चाहे जो भी हो, लेकिन राष्ट्रगान जैसी देश की गरिमा और सम्मान से जुड़ी चीज़ का इस तरह मज़ाक या अपमान किया जाना वाकई बेहद दुःखद, शर्मनाक और निराशाजनक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग इस पर नाराज़गी जता रहे हैं और ऐसे कंटेंट पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मनोरंजन और वायरल होने की होड़ में राष्ट्रीय प्रतीकों की मर्यादा को ठेस पहुंचाना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/rajasthan/kota/news/the-congress-inquiry-committee-will-submit-its-report-to-the-state-president-today-dbp-137904676.html

कांग्रेस की जांच कमेटी आज प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी रिपोर्ट
कोटा 3 घंटे पहले

कोटा| प्रसूताओं की मौत के मामले में गठित कांग्रेस की जांच कमेटी सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपेंगे। कमेटी ने रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस मामले में डॉक्टर्स की गंभीर लापरवाही मानी है। साथ ही दवाइयों पर भी संदेह जताया है। कमेटी ने ये माना कि ऑपरेशन थियेटर को सही तरीके से संक्रमण मुक्त नहीं किया गया था। एक मामला सामने आने के बाद व्यवस्था को सुधारने और कारणों को दूर करने की बजाय दबाने में ज्यादा समय बर्बाद किया।

दवाओं की खरीद से लेकर सप्लाई और स्टोरेज के बिंदुओं पर भी गहन जांच होनी चाहिए। जांच कमेटी में पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा, विधायक डूंगरराम गेदर, पीसीसी महासचिव कोटा जिला प्रभारी पुष्पेन्द्र भारद्वाज, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विकास महला शामिल हैं। प्राचार्य के पोस्टर पर पोती कालिख: रविवार को कांग्रेस गणेश नगर मंडल अध्यक्ष चेतन सोलंकी के नेतृत्व में सद्बुद्धि-यज्ञ व प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. नीलेश जैन के पोस्टर पर कालिख पोतकर इस्तीफे की मांग की।

मंडल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्राचार्य डॉ. निलेश जैन ने इस्तीफा नहीं दिया तो आगामी आंदोलन और उग्र होगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) को शिकायत दी है। मांग की है कि स्वतंत्र जांच दल गठित कर दवाओं की गुणवत्ता, ओटी की स्थिति एवं जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर पीड़ितों 50 लाख मुआवजा दिया जाए।

Jagran, Online News, 11/05/2026

Source: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-delhi-night-shelters-mixed-conditions-amidst-scorching-summer-40234561.html?utm_source=article_detail&utm_medium=CRE&utm_campaign=latestnews_CRE

गर्मी में बेघरों का एकमात्र सहारा भी फेल, दिल्ली के रैन बसेरों में कहीं वाटर कूलर सूखे; तो कहीं पंखे गायब
By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
Updated: Sun, 10 May 2026 08:52 PM (IST)

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की स्थिति असमान है। मध्य दिल्ली के कई आश्रय गृहों में सुविधाओं का अभाव है, जबकि दक्षिण दिल्ल ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में सूरज के तेवर तल्ख होने के साथ ही सड़कों पर जीवन बसर करने वाले बेघर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई गई हैं। गर्मी में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के रैन बसेरे ही इन बेसहारा लोगों का एकमात्र सहारा हैं।

रैन बसेरों की पड़ताल में व्यवस्थाओं में असमानता देखने को मिली। जहां एक तरफ मध्य दिल्ली के कई आश्रय गृहों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखा तो वहीं, दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रशासन की सक्रियता से बेघरों को थोड़ी राहत मिली है। इस भीषण तपिश में रैन बसेरों के भीतर कहीं वाटर कूलर सूखे मिले, तो कहीं पंखे खराब होने के कारण लोग रात- दिन उमस में बिताने को मजबूर रहे।

मध्य दिल्ली के आसफ अली रोड स्थित रैन बसेरों में स्थिति काफी चिंताजनक पाई गई। यहां गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए पंखे अपनी जगह से नदारद मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंखे कई दिनों से खराब पड़े थे, जिन्हें महज एक दिन पहले मरम्मत के लिए भेजा गया है।

प्यास बुझाने के लिए लगाए गए वाटर कूलर भी बंद मिले। हैरानी की बात यह है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद यहां लू से बचाव के लिए अनिवार्य ओआरएस के पैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। महिलाओं के लिए लगाई गई सैनेटरी पैड मशीनें भी नदारद मिली। जामा मस्जिद के मीना बाजार स्थित बसेरे में उपकरण सभी चालू अवस्था में मिले, लेकिन पानी की मोटर खराब होने के कारण लोगों के लिए प्यास बुझाना बड़ी समस्या बनी हुई है।

इसके उलट दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी, संत नगर और नेहरू नगर स्थित रैन बसेरों में व्यवस्थाएं तुलनात्मक रूप से संतोषजनक पाई गईं। यहां डूसिब द्वारा गर्मी को देखते हुए समय रहते कूलर और एग्जास्ट फैन की मरम्मत व नए उपकरण लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कालकाजी महिला आश्रय गृह में 20 बेड की क्षमता पर 2 कूलर और 4 पंखे दुरुस्त मिले। वहीं पुरुष आश्रय गृह में 13 बेड पर 4 कूलर और 8 पंखे चलते हुए पाए गए। हालांकि, कुछ तकनीकी खामियां यहां भी दिखीं जैसे कालकाजी पुरुष आश्रय गृह में कूलर खिड़की पर लगाने के बजाय कमरे के भीतर रखकर चलाया जा रहा था, जिससे कमरे में उमस की समस्या बनी हुई थी।

कुछ जगहों पर केयर टेकर की लापरवाही भी दिखी जहां कूलर बिना पानी के चलते पाए गए, जिसका कारण पानी की सीमित आपूर्ति बताया गया।

सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) की एक ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली के रैन बसेरों की पूरी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक डूसिब दिल्ली में कुल 197 रैन बसेरों का संचालन करता है, जिनमें लगभग 17,000 लोगों के ठहरने की क्षमता है। इनमें से 82 स्थायी कंक्रीट की इमारतें हैं, जबकि अन्य पोर्टेबल केबिन हैं जो गर्मियों में अधिक तपते हैं।

सीएचडी के कार्यकारी निदेशक सुनील कुमार अलेदिया ने इस बदहाली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सभी 197 केंद्रों पर खराब कूलिंग इकाइयों की युद्धस्तर पर मरम्मत कराई जाए।

वहीं, इस मामले में डूसिब के एक अधिकारी का कहना है कि सभी रैन बसेरों में रह रहे लोगों के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

जहां कोई उपकरण खराब है उन्हें ठीक करने के लिए भेजा गया है। जो भी कमियां मौजूद है जल्द ही उनको दुरूस्त कर दिया जाएगा।

Source: https://www.bhadas4media.com/umar-rashid-fake-news-delhi-police/

दिल्ली
पत्रकार उमर राशिद प्रकरण से जानिए, फेक न्यूज़ के जरिए किसी को शिकार बना लेना कितना आसान है!
BybhadasdeskPublished 1 hour ago

रविंद्र रंजन-

फ़ेक न्यूज और नफ़रत के फलते-फूलते 'कुटीर उद्योग' के इस दौर में किसी को अपना 'शिकार' बना लेना कितना आसान हो गया है, इसका ताजा सबूत है पत्रकार उमर राशिद का मामला। किसी ने दो पन्ने की एक कहानी गढ़ी, जिसमें नफरत का सारा मसाला डाला गया (लड़की, हिंदू-मुस्लिम, गोमांस, लव जेहाद इत्यादि) और उसको फर्जी आईडी से X पर पोस्ट कर दिया गया। उसके बाद पूरा दक्षिणपंथी तंत्र राशिद के खिलाफ सक्रिय हो गया।

कहानी में चूंकि तथाकथित विक्टिम हिंदू थी और आरोपी मुस्लिम.. लिहाजा, तमाम फर्जी आईडी से नमक-मिर्च लगाकर और भड़काऊ टिप्पणियों के साथ उस पोस्ट को शेयर किया जाने लगा। वेरीफाइड अकाउंट वाले स्वघोषित फेमिनिस्ट भी इसमें पीछे नहीं रहे।

चूंकि ऐसे मामलों में विक्टिम की पहचान उजागर नहीं की जाती है, इसलिए पूरी साजिश रचने वाले ने इसी 'सुरक्षा' को अपना हथियार बनाया। आईटी सेल के सैकड़ों लोग अज्ञात पीड़ित के पक्ष में आंसू बहाते रहे और उमर राशिद की लानत-मलानत करते रहे। सिर्फ एक गुमनाम विक्टिम की कहानी के आधार पर कोई "संगठन" पत्रकार के खिलाफ NHRC पहुंच गया और NHRC ने भी पत्रकार के खिलाफ सक्रिय होने में देर नहीं लगाई। लेकिन दिल्ली पुलिस को लंबे समय तक हाथ-पांव मारने के बाद भी पत्रकार के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ना ही तथाकथित विक्टिम मिली और न ही पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जांच में कोई "सहयोग" किया।

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायत पूरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल गुमनाम आरोपों पर आधारित थी। आखिरकार पुलिस ने NHRC के सामने हाथ खड़े कर दिए और लगभग 10 महीने बाद NHRC ने केस बंद करने का फैसला सुना दिया। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि X पर फर्जी पोस्ट करने वाला कौन था? हो सकता है कि पता भी चल गया हो, तो उसे बचा लिया गया हो? उसका एजेंडा तो पूरा हो गया। लेकिन फर्जी पोस्ट के जरिये उमर राशिद के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का जो अभियान चला उसकी जवाबदेही किसकी है?

पत्रकार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका क्या? उसके प्रोफेशनल करिअर पर जो डेंट लगा उसका क्या? यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने वो सारी फर्जी पोस्ट और अभद्र टिप्पणियां भी अभी तक नहीं हटवाईं हैं, जिनका मकसद ही पत्रकार के खिलाफ घृणा फैलाना था।

और हां, जो लोग उस वक्त उमर राशिद के खिलाफ लंबी-लंबी पोस्ट लिख रहे थे, NHRC द्वारा केस बंद करने के बाद उनमें से किसी की भी कोई पोस्ट नजर नहीं आ रही है। आपको नजर आए तो कृपया जरूर बताएं।

Source: https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/prayagraj/news/allahabad-highcourt-madrassa-probe-nhrc-muslims-mob-lynching-comment-137902708.html

Hindi NewsLocalUttar pradeshPrayagrajAllahabad HC: NHRC Silent On Muslim Mob Lynching? Madrassa Probe
558 मदरसों की जांच मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने कहा था- मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग पर मौन रहता है मानवाधिकार आयोग
प्रयागराज 18 मिनट पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जांच कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पर गंभीर टिप्पणी की थी। कहा था कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग आयोग मौन रहता है।

जानिये हाईकोर्ट ने क्या कहा था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आयोग उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि मॉब लिंचिंग , भीड़ हिंसा और सतर्कतावादी हमलों जैसे गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के उदाहरण सामने नहीं आते।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने के आदेश को चुनौती दी है।

आयोग के पास शिकायत में गंभीर आरोप

आयोग के समक्ष की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि संबंधित मदरसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से मानकों का पालन किए बिना सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं तथा रिश्वत और कमीशन के माध्यम से अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि कथित घटनाओं के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है। इससे पहले अदालत इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा चुकी है।

कोर्ट ने कहा उनका अधिकार क्षेत्र नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग उन मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “यह अदालत इस बात से अवगत नहीं है कि मानवाधिकार आयोग ने ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लिया हो, जहां सतर्कतावादी समूह कानून अपने हाथ में लेकर नागरिकों को प्रताड़ित करते हैं, या विभिन्न समुदायों के लोगों के आपसी संबंधों को लेकर उन्हें परेशान किया जाता है।”

मुस्लिमों पर हमले तो चुप क्यों

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले, मॉब लिंचिंग या मामलों के सही पंजीकरण व जांच न होने जैसी घटनाएं सामने आती हैं तब मानवाधिकार आयोगों की निष्क्रियता चिंता का विषय है। खंडपीठ ने कहा कि मानवाधिकार आयोग कोई न्यायाधिकरण नहीं है, जो मुकदमों का परीक्षण करे। यदि उसे किसी मामले में हस्तक्षेप आवश्यक लगता है तो वह सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है या एफआईआर दर्ज कराने का आग्रह कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में कार्यपालिका को सीधे जांच के आदेश देने की उसकी शक्ति संदिग्ध है। खासकर जब मामला मानवाधिकार उल्लंघन का न हो।

प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि आयोग ने ऐसे मामले में शिकायत स्वीकार की, जिसमें मानवाधिकार उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं था, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया और पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को जारी रखा। मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख 11 मई तय की गई थी।